**भारत सरकार**

**कारपोरेट कार्य मंत्रालय**

**लोकसभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 3496**

**(सोमवार, 10 अगस्त, 2026/19 श्रावण, 1948 (शक) को उत्तर के लिए)**

**कंपनीज़ कम्प्लायंस फेसिलिटेशन योजना, 2026 के तहत प्रवर्तन कार्यवाही**

**3496. श्री रॉबर्ट ब्रूस सी.**

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) कंपनीज़ कम्प्लायंस फेसिलिटेशन योजना, 2026 (सीसीएफएस-2026) की समाप्ति से पहले कारपोरेट रिकार्ड बैकलॉग का निपटान करने में विफल रहने वाली चूककर्ता फर्मों के विरुद्ध रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ (आरओसी) द्वारा संरचनात्मक प्रवर्तन उपायों और नाम हटाने संबंधी कार्यवाही का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या वैश्विक महामारी के बाद गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रहे सूक्ष्म उद्यमों के लिए अनुपालन राहत अवधि का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) की पीठों की बाधा को समाप्त करने के लिए किन्हीं वैकल्पिक विवाद समाधान मार्गों को संस्थागत रूप दिया जा रहा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा सीसीएफएस दिशा-निर्देशों के अंतर्गत निष्क्रिय शेल कंपनियों को बंद किए जाने के बाद छोटे खुदरा ऋणदाताओं की सुरक्षा के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

**उत्तर**

**कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।**

**(श्री हर्ष मल्होत्रा)**

(क): कंपनी रजिस्ट्रार ऐसी कंपनियों का नाम रजिस्टर से हटाने के लिए अधिकृत है, जो लगातार दो पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों की अवधि तक कोई कारोबार अथवा परिचालन नहीं कर रही हैं तथा जिन्होंने उक्त अवधि में अधिनियम की धारा 455 के तहत निष्क्रिय कंपनी का दर्जा प्राप्त करने के लिए कोई आवेदन नहीं किया है, अथवा जिन मामलों में ज्ञापन के अभिदाताओं ने कंपनी के

निगमन के समय अदा किए जाने के लिए जिस अभिदाय देने का दायित्व लिया था, उसका भुगतान नहीं किया है और इस आशय की घोषणा अधिनियम की धारा 10क की उपधारा (1) के तहत कंपनी के निगमन की तिथि से एक सौ अस्सी दिनों के भीतर दाखिल नहीं की गई है। उपर्युक्त नाम हटाने की प्रक्रिया कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(1) तथा उसके साथ पठित कंपनी (कंपनियों के रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम में विहित है, जिसका अनुपालन कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा किया जाता है तो इस प्रक्रिया में ऐसी कंपनियों तथा उनके निदेशकों को कंपनी का नाम कंपनियों के रजिस्टर से हटाए जाने के संबंध में सूचना जारी करना तथा सूचना की तिथि से तीस दिनों की अवधि के भीतर अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करना सम्मिलित है।

कंपनी अनुपालन सुविधा स्कीम, 2026 (सीसीएफएस) में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(1) के तहत कंपनियों का नाम रजिस्टर से हटाए जाने की परिकल्पना नहीं की गई है। सीसीएफएस का उद्देश्य अनुपालन के स्तर में सुधार करना तथा यह सुनिश्चित करना है कि कारपोरेट रजिस्ट्री में सही एवं अद्यतन जानकारी परिलक्षित हो। इसके अतिरिक्त, इसका उद्देश्य निष्क्रिय अथवा बंद हो चुकी संस्थाओं को कम शुल्क का भुगतान करके निष्क्रियता का दर्जा प्राप्त करने अथवा बंद किए जाने का विकल्प उपलब्ध कराना भी है।

(ख): दिनांक 08 जुलाई, 2026 के सामान्य परिपत्र सं. 03/2026 के माध्यम से सीसीएफएस-2026 की अवधि पहले ही 31 अगस्त, 2026 तक बढ़ाई जा चुकी है। वर्तमान में इसे और आगे बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग): जी नहीं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 442 के तहत मध्यस्थता एवं सुलह के माध्यम से वैकल्पिक विवाद समाधान के लिए एक संस्थागत व्यवस्था पहले से ही विद्यमान है।

(घ): 'शेल कंपनी' शब्द को कंपनी अधिनियम, 2013 में परिभाषित नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, सीसीएफएस में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(1) के तहत कंपनियों का नाम रजिस्टर से हटाए जाने की परिकल्पना नहीं की गई है।

*****